



राज्यपाल सचिवालय, बिहार


राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या-61 (लो0सू0अ0)/2022-23

**Shri Rajender Kumar, C/o- Medical Colony Hospital Round, Nahan District Sirmour
HP 173001**

बनाम

**Principal Islamia Teacher's Training (B.ED), College Pulwari College Sharif Patna-
801505**

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
24.11.2022	<p>Shri Rajender Kumar, C/o- Medical Colony Hospital Round, Nahan District Sirmour HP 173001 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक- 14.10.2022 इस कार्यालय में दिनांक-21.11.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का न्यायिक स्टाम्प संलग्न है।</p> <p>अपीलकर्ता Shri Rajender Kumar ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-02.07.2022/13.08.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत Principal Islamia Teacher's Training (B.ED), College Pulwari College Sharif Patna-801505 को समर्पित किया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना/निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-14.10.2022 की प्रति भी संलग्न की है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अतः अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना अपील आवेदन समर्पित किया है। इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>